

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मोप्र० गवालियर

निगरानी कमाक

/2016 जवलपुर

फ ५१२९- I-16

अमर सिंह गौड़ पिता श्री रतिराम गौड़ निवासी
ग्रम टींगन थाना बरगी तहसील व जिला जवलपुर
म.प्र.।

समिलन संख्या ५०४०
दिनांक ५-१२-१६

कलेक्टर ऑफ़ कोर्ट
ग्रामस्व मण्डल मोप्र० गवालियर

आवेदक

विरुद्ध

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
- अयोध्या प्रसाद सतनामी पिता स्व. श्री मोतीलाल
सतनामी निवासी ग्रम नारायणपुर थाना बरगी तहसील
व जिला जवलपुर म.प्र.।

.....अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण के 171/अ-21/2015-2016 मे
पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता
1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

693
5-12-16

माननीय महोदय,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपर्यन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम चरगावां नं.बं. 157 प०ह०न० 38/37 रा.नि.म.
बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 90/2 रक्वा 0.
800हे. भूमि आवेदक की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाऊ है जिससे उसमे फसल पैदा नहीं हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विक्रय की अनुमति चाही गई है जो विक्रय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे।

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4129 / 1/ 2016

जिला—जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि- एंव आवेदक के हस्ताक्षर
6-२-१७	यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 171/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
2-	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम चरगवां नं. बं. 157 प. ह.नं. 38/37रा.नि.मं.बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 90/2 रकवा 0.800 हेठल—खाबड़ होने एंव अन—उपजाउ होने से भूमि को विक्रय कर पारिवारिक जरूतो को पूरा करने हेतु एंव शेष बच रही भूमि की उन्नती हेतु एंव बच्चों की शिक्षा देने हेतु एंव मकान बनवाने हेतु रूपयों की आवश्यकता हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 171/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र का निराकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न किये जाने से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	
3-	निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
4-	आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 90/2 रकवा 0.800 हेक्टेयर के विक्रय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि यह भूमि पड़ती कम उपजाउ और कृषि हेतु अनुपयुक्त एंव पथरीली होने से भूमि	

(M)

१५

को विक्य कर पारिवारिक जरूतो को पूरा करने हेतु एवं शेष बच रही भूमि की उन्नती हेतु एवं बच्चो की शिक्षा देने हेतु एवं मकान बनवाने हेतु रूपयों की आवश्यकता हेतु विक्य करना चाहता है। उसके पास विक्य की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त 7.817 हे. यानी 19 एकड 31 डिसमिल भूमि असिचित शेष बच रही है। जो कि उसके व उसके परिवार के भरण पोषण हेतु प्रयाप्त है। जिसके कारण विक्य की जाने वाली भूमि के विक्य उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एवं भूमि विक्य से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वनायेगा इसलिये भूमि विक्य का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विक्य अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड्चन नजर नही आती है। वैसे भी आवेदक द्वारा विक्य की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्य की अनुमति मांगी गई है। माननीय वरिष्ठ न्यायालय के कई न्याय सिद्धात प्रतिपादित है कि आवेदक अपनी भूमि स्वामी की भूमि को या पटटे से प्राप्त की गई भूमि को 10 वर्ष के पश्चात विक्य कर सकता है इसके लिये कलेक्टर से विक्य की अनुमति की भी आवश्यकता नही है। एवं कई न्याय सिद्धात भी इस प्रकार है—

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-०८-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि—

(1)भू-राजस्व संहिता ,1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख)तथा 158 (3) का लागू होना—उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये—बिना अनुमति के भूमि का अंतरण—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया—उपबंध आकर्षित नही होते—भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन—का सिद्धात —नवीन उपबंध का अंतःस्थापन —भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया —ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा०नि०183में व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(म०प्र०)-धारा 165(7-ख) सरकारी पटटेदार द्वारा

OM

8/14

आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये —भूमि का विक्य कर सकता है — कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 171/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्राम चरगवां नं. बं. 157 प.ह.नं. 38/37रा.नि.मं.बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 90/2 रकवा 0.800 हेक्टेयर के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः—

1—भूमि का क्य—विक्य के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का क्य —विक्य पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3—केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य